

प्रश्न सं. [क. 1790]

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक /08/2014

क्रमांक एफ 1-08/2012/18-3

प्रति,
कलेक्टर,
जिला सागर,
म.प्र.

विषय :- नगर पालिक निगम सागर की सीमा में वृद्धि के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 338/व.लि.-1/14, दिनांक 01.07.14

—000—

मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 405 (1) के अंतर्गत सागर नगर पालिक निगम की सीमा वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 04.05.12 में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था।

2- उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संदर्भ में प्राप्त दावे/आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित कार्यवाही विवरण में अंकित तथ्यों व आपके अभिमत पर विचारोपसृत राज्य शासन एतद्वारा नगर पालिक निगम सागर की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव को अमान्य किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के. कातिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 20 /08/2014

क्रमांक एफ 1-08/2012/18-3

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.
 2. ज़ंभागीय आयुक्त, सागर संभाग सागर, म.प्र.
 3. आयुक्त नगर पालिक निगम, सागर, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

जनसुनाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग